

## इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना

भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2002 की गरीबी रेखा की सर्वे सूची अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 64 वर्ष आयु की विधवा महिलाओं के लिये राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना लागू की गई है।

- (1) योजना दिनांक 1/4/2009 से प्रभावशील है।
- (2) योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के मद से रुपये 200/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जावेगी।
- (3) पेंशन का भुगतान पोस्ट आफिस अथवा राष्ट्रीकृत बैंक से किया जावेगा।
- (4) ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों के लिये भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदत्त गरीबी रेखा की सूची 2002 मान्य होगी।

; kstuk vrxlr vkonu i = ds l kfk fuEufyf[kr iæk.k i = l ayXu  
gksx%&

1. गरीबी रेखा सर्वे सूची क्रमांक का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. आवेदक का फोटोग्राफ

निःशुल्क आवेदन

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग  
राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना / राष्ट्रीय इंदिरा गांधी  
निःशक्त पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र

आवेदक  
का  
फोटो

आवेदक का नाम ..... पिता / पति .....  
जाति .....

आवेदक की जन्म तिथि / आयु .....

गरीबी रेखा की सर्वे सूची का क्रमांक .....

आवेदक के मूल निवास स्थान का पूर्ण पता .....

आवेदक के वर्तमान निवास का स्थान का पूर्ण पता .....

आवेदक की शैक्षणिक योग्यता .....

(अ) विधवा हो तो पति की मृत्यु का दिनांक .....

(ब) निःशक्त हो तो निःशक्तता का प्रकार ..... निःशक्तता का प्रतिशत .....

आवेदक के परिवार के समस्त सदस्यों की जानकारी

क्रमांक	नाम	संबंध	आयु	व्यवसाय	मासिक आमदनी
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

क्या आवेदक को पूर्व से निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन अथवा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त हो रही है ? .....

क्या आवेदन को राज्य शासन अथवा किसी स्थानीय संस्था से भरण पोषण हेतु कोई राशि, अनाज / अन्य सहायता प्राप्त हो रही है ? हाँ तो कितनी और किस रूप में .....

वर्तमान में जीविका का क्या साधन है .....

संलग्न :-

1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्य होने का प्रमाण पत्र

## घोषणा पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी .....पिता/पति.....  
.....सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर बताई गई  
जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही है। यदि ऊपर लिखी जानकारी असत्य पाई जावे तो  
उपरोक्त राशि मुझसे वसूल की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

### प्रमाणीकरण की प्रक्रिया :-

1. पटवारी द्वारा की गई अनुशंसा .....
2. समन्वयक अधिकारी, ग्राम पंचायत की अनुशंसा .....
3. पंचायत समाज शिक्षा संगठक/राजस्व निरीक्षक की अनुशंसा .....
4. आयुक्त, नगर निगम, मुख्य नगर पालिका /नगर पंचायत अधिकारी, मुख्य  
कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की अनुशंसा .....

### राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना/राष्ट्रीय इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की पावती

राष्ट्रीय इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना/ राष्ट्रीय इंदिरा गांधी निःशक्त पेंशन योजना अंतर्गत  
सहायता प्राप्त करने हेतु -  
श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज/पति/अभिभावक .....  
पता.....  
.....आवेदन पत्र पंजी क्रमांक..... दिनांक .....  
.....को ग्राम पंचायत/ नगर पंचायत /जनपद पंचायत./नगर पालिका/नगर निगम.....  
.....कार्यालय में आवेदन जमा किया गया। जिसकी प्राप्ति  
अभिस्वीकृति प्राप्त की गई।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर  
एवं नाम व पद मुद्रा